

किया जाता है। (संशोधन समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु वीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो वीस की नवीनीकरण दी जाना होगी।)

- ✓ संस्था को (3090) प्रतिष्ठित शिक्षा समिति एवं 34 प्रतिष्ठित, संशोधन की सम्बद्ध शिक्षा (संशोधन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।)
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटी के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सम्बन्धों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आर्०सी०टी०ई०पी०सी०आर्०ए० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलाई गये विधिविषय, अधिनियम, आदेशों, विदेशी एवं निदेशक, प्रतिष्ठित शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा कलाई गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ हिन्दोबा इन पब्लिसी पाठ्यक्रम की संरक्षक यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपलब्धित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा निदेशालय एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई काट टापर किया जाता है तथा काट काट के संबंध में न। स्वतंत्रताय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करानी होगी।
- ✓ हिन्दोबा इन पब्लिसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकेशन प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आर्०ए० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्वॉलिफिकेशन के माध्यम से प्रवेश संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनीकरण आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, (आवकम शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परसवित्त संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशांसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परसवित्त, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आर्०सी०टी०ई०पी०सी०आर्०ए० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार

उत्तरदायी
संरक्षक पब्लिसी संचालित
विद्यार्थी, विद्युती

**भारतीय
प्रतिष्ठित प्राथमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश राज्य**

संख्या - प्रतिष्ठा/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक: दिनांक: 30/08/2022

सम्बद्धता

प्रतिष्ठित भारतीय उच्च-मीडि शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिकी कठोरनियत नीति इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु विनियमन भारतीय उच्च-मीडि शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद भारतीय उच्च-मीडि शिक्षा परिषद की बैठक में सविधि द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जेंटिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1091-CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई-सी-टी-ई-ओ/पी-सी-आई-ओ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई-सी-टी-ई-ओ/पी-सी-आई-ओ द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित सासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्वीट पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले सासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटिल छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित सासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गमित विधिविनियमों/अधिनियमों/सासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

प्राथमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश राज्य

संख्या 10

- ✓ वही संसद का एग्रीजेंट/सीक्रेटरी/डीप्युटी-सीक्रेटरी से अनुमोदन विरल किया जाता है जो इस संसद में समस्त उपरोक्त संसद का होना और विधिक रूप से किसी भी कानून/टी के लिए संसद को उपस्थिति होगी। अधिकाधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, अधिकाधिक शिक्षा निदेशकालय एवं अधिकाधिक शिक्षा विभाग इस प्रयोग संसद के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तो संसद को उपस्थिति के संसद में जो, उपरोक्त द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदों को संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, इस प्रयोग संसद द्वारा प्रतिक्रिया संबंधित प्रयोग हेतु उपरोक्त अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व एग्रीजेंट/सीक्रेटरी/डीप्युटी-सीक्रेटरी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपस्थित कराया जाए अन्यथा उन्हें प्रयोग की (कार्यालय) के माध्यम से प्रयोग परीक्षा के अन्तर्गत प्रयोग प्रयोग अनुमोदित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ इस प्रयोग संसद द्वारा प्रयोग हेतु संसद-संसाधन पर निर्गत नवीकरण आदेश विरल का अनुमोदन कराना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक सूची भूमि, साज, साज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सूचना, आवासन सूचना आदि का निवारण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त आवासन उपलब्ध कराने के साथ भूमि होने के संबंध में समस्त आवश्यक आवासन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित संबंधित पदावकाश की बहाली करने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराया गये अधिकाधिक भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पदावकाश के माध्यम से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संसद के अधिक कथनीय निर्देश के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा एग्रीजेंट/सीक्रेटरी/डीप्युटी-सीक्रेटरी-परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुमानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

72
11
10

(Signature)
(एच०आर० खान)

सचिव

पुंसा- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/7818-8455

दिनांक: 20/08/2022

प्रतिष्ठान

प्रधानाचार्यनिदेशक, CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA

(Signature)
(एच०आर० खान)

सचिव

(Signature)
चन्द्रकमल परामर्श महाविद्यालय
मिर्जापुर, मेरठ

